जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, जिला–मुंगेर।

बी.ए. नंबर–1278/2026

मुफस्सिल थाना कांड संख्या–199/2026

मो0 सरफराज बनाम बिहार राज्य।

30.06.2026

काराधीन आवेदक यथा **मो0 सरफराज** जो दिनांक **25.04.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में है, के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता श्री विजय प्रकाश झा के द्वारा संचालित किया गया, जो मुफस्सिल थाना कांड सं0–199/2026 अंतर्गत धारा–25(1)(a), 25(1-A), 25(1-AA), 25(1-B)(a), 25(1-B)(c), 26(1), 26(2), 35 आयुध अधिनियम के अधीन दर्ज है एवं जिनका यह वाद विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुंगेर के न्यायालय में लंबित है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सुशील कुमार सिन्हा एवं आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विजय प्रकाश झा को सुना।

प्राथमिकी के अनुसार, अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि सूचक पुलिस अवर निरिक्षक नूरैन अंसारी के टंकित आवेदन के आधार पर यह है कि दिनांक–24.04.2026 को समय करीब 14:00 बजे थाना से संध्या गश्ती हेतु थाना सशस्त्र बल के साथ सरकारी वाहन से प्रस्थान किया। गश्ती के क्रम में समय करीब 17:00 बजे थानाध्यक्ष महोदय के द्वारा सूचना मिली कि तारापुर बड़ी दियारा में गंडक नदी के किनारे मकई के खेत के बीच में कुछ व्यक्तियों द्वारा मिनी गन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। सूचना पर उनके द्वारा टीम के साथ बताए गए स्थल पर सतर्कता के साथ पहूँचा तो मकई के खेत के अंदर जमीन पर चार व्यक्ति बैठकर काम कर रहे थे। काम कर रहे व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, उक्त चारों व्यक्ति को पुलिस के सशस्त्र बल के द्वारा पकड़ा गया। पकड़ाए व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम विकास कुमार, प्रकाश बिंद, मो0 सरफराज एवं मो0 अतीक बताया। इन सभी व्यक्तियों से पूछे जाने पर बताए कि हमलोग मकई के खेत में बैठकर अवैध हथियार का निर्माण कर रहे थे। पुलिस को देखे तो भागने लगे। सूचक के द्वारा पकड़ाये गए व्यक्ति के बदन की तलाशी लिया तो उनके पास से पहने कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं मिला, तथा उस स्थान पर बैठकर काम कर रहे स्थल की तलाशी लेने पर सूचक के द्वारा चार पीस लोहा का फ्रेम लगा बेस मशीन, ड्रील मशीन, तीन पीस अर्धनिर्मित लोहे का देशी पिस्टल, एक लोहा की मैगजीन एवं पिस्टल बनाने का अन्य समग्री बरामद की गई और मोबाईल की भी बरामदगी की गई। उक्त चारों व्यक्तियों से मिनीगन फैक्ट्री चलाए जाने का कागजात की मांग की गई तो उनके द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। तत्पश्चात् उक्त बरामद वस्तु की

30.06.26.

तलाशी–सह–जब्ती सूची बनाकर व सीलबंद कर गिरफ्तार व्यक्ति के साथ थाना आए। थाना आने के पश्चात् टंकित आवेदन थानाध्यक्ष को दिया और प्राथमिकी दर्ज किया गया।

अभियुक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त आवेदक निर्दोष हैं तथा उन्हें इस कांड में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त आवेदक के द्वारा इस जमानत आवेदन के पूर्व कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो विद्वान सत्र न्यायालय और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया है। अभियुक्त आवेदक के विरुद्ध पूर्व से दो आपराधिक इतिहास दर्ज है। इस कांड में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त आवेदक को पुलिस के द्वारा न तो घटनास्थल पर गिरफ्तार किए हैं और न ही उनके कब्जे से आपराधिक सामग्री बरामद किया गया है बल्कि पुलिस के द्वारा बलपूर्वक सादा कागज पर हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया और जिसे जब्ती–सूची में उपयोग लाया गया। अभियुक्त आवेदक गरीब मजदूर है और उन्हें जप्त वस्तु से कोई सरोकार नहीं है। अभियुक्त आवेदक दिनांक–25.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक उचित बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है और उनका फरार होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

आवेदक दिनांक–25.04.2026 से कारा में संसीमित हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभयपक्ष को सुना। अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से मैं यह पाता हूँ कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है और उनपर अवैध आग्नेयास्त्र रखने, उसका खरीद–बिक्री व तस्करी एवं निर्माण करने का आरोप है। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त आवेदक को घटनास्थल पर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, परंतु उनके शरीर की तलाशी के क्रम में कोई भी आपराधिक व आपत्तिजनक वस्तुएं एवं अवैध आर्म्स की बरामदगी नहीं हुई। इस प्रकार **अभियुक्त आवेदक के कब्जे से कोई भी आर्म्स जप्त नहीं किया गया है,** बल्कि तथाकथित मकई के खेत से आर्म्स और आर्म्स बनाने का औजार की बरामदगी की गई है। **अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्त आवेदक के विरूद्ध पूर्व से एक आपराधिक कांड दर्ज होना पाया गया है** (कंडिका–40)। **अभियुक्त आवेदक विकलांग है।** अवेदक की विकलांगता के संबंध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अभियुक्त आवेदक के विरुद्ध अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है (कंडिका–58)। तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के विरुद्ध संज्ञान भी लिया जा चुका है और **अभियुक्त आवेदक दिनांक 25.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में संसीमित हैं।** ऐसी स्थिति में अभियुक्त आवेदक को और अवधि के लिए

30.06.26.

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, मुंगेर।
बी0 ए0 सं0 – 1278/2026
मो0 सरफराज बनाम् बिहार राज्य।

न्यायिक अभिरक्षा में अनुसंधानकर्ता के द्वारा पूछताछ हेतु रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किए जाने की संभावना भी परिलक्षित नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थिति तथा विशेषतः आवेदक के द्वारा कारा में बिताई गई अवधि दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त आवेदक यथा **मो0 सरफराज** को **दस हजार रूपये का बंध पत्र साथ में समान राशि के दो प्रतिभू** दाखिल करने पर तथा विद्वान न्यायालय के संतुष्टि पर निम्न शर्तों पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है :–

1. **आवेदक के दोनों जमानतदार उसके निकट संबंधी होंगे।**
2. **आवेदक वाद के निष्पादन तक न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे।**

लेखापित

Gautam Kumar Yadav
30.06.26.

(गौतम कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, मुंगेर।
दिनांक–30.06.2026

copy of order sent alongwith
L.C.R. of Mufl. 199/26
vide DB-32/ dt. 01-7-26